



कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)



website- <http://bilasagirlscollege.ac.in>

email- bilasagirlscollege_bilaspur@rediffmail.com

Ph No./Fax- 07752-224249

क्रमांक /स्या/अतिथि व्या./2023

बिलासपुर, दिनांक /2023

अतिथि व्याख्याता के रूप में अध्यापन की अनुमति/आमंत्रण सूचना

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, का पत्र क्रमांक 504/आउशि/राज.स्य./2023, नया रायपुर, अटल नगर, दिनांक 10.07.2023 के अनुसार सत्र 2023-24 के लिए महाविद्यालय में शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध अतिथि व्याख्याता रूप में उनके नाम के सम्मुख विषय में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अध्यापन कार्य के लिये आमंत्रित किया जाता है :-

1. अध्यापन हेतु 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान हेतु रुपये 300/- का मानदेय प्रदान किया जायेगा। एक दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान/पीरियड दिये जा सकते हैं एवं अधिकतम प्रतिदिन रुपये 1200/- एवं अधिकतम प्रतिमाह रुपये 31200/- (इकतीस हजार दस सौ मात्र) मानदेय के रूप में प्रदान किया जा सकता है।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में अध्यापन कार्य समाप्त होने तक/आवश्यकतानुसार रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिबिहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन अध्यापन करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक महाविद्यालयों/संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के अध्यापन की अनुमति निरस्त की जा सकती है।
7. यह आमंत्रण छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेशों के अधीन बंधनकारी होगा।
8. महाविद्यालय में इस विषय में रिक्त पद पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति/स्थापनांतरण से पदस्थापना होने पर यह आमंत्रण तत्काल निरस्त होगा।
9. आप छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आदेश जारी होने के दिनांक से पांच दिवस के भीतर अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्रों सहित महाविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देंगे। अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

स. क्र.	नाम, पता एवं मो.न.	विषय	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध
1.	रानी गुप्ता रिक्टर व्ह्यू कोनी, बिलासपुर (छ.ग.) मो.नं.- 8707331250	राजनीति विज्ञान	प्राध्यापक

(डॉ. एस.आर. कमलेश)

प्राचार्य
शास. बिलासा कन्या स्नातको. महावि.
Govt. Bilasa Girls' College
बिलासपुर (छ.ग.)
बिलासपुर, दिनांक 25/7/2023

पृ.क्रमांक 105/ स्या./अतिथि व्या./ 2023
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लाक सी- 3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक राजनीतिविज्ञान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संयोजक चयन समिति, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. संबंधित रानी गुप्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यालयीन लेखा शाखा
6. कार्यालयीन प्रति- स्थापना शाखा।

PRINCIPAL
Govt. Bilasa Girls' P.G. College
BILASPUR (C.G.)